

24.09.2019

वकुलाय उपस्थित।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रकरण हाजा का शीघ्र निस्तारण कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रकरण में विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली के समक्ष प्रकरण संख्या 176/2018 बअनवान मंजूदेवी बनाम विनोद कुमार एवं 178/2018 बअनवान सायरीदेवी बनाम कानाराम विचाराधीन है, जिसमें जिला कलक्टर, पाली भी बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित हैं। प्रकरण संख्या 176/2018 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2019 के जरिये विवादित सम्पत्ति प्लॉट नम्बर ई-232, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली, जिसके उत्तर में निजी भूमि, दक्षिण में 30 मीटर सड़क, पूर्व में प्लॉट नं. ई-231 एवं पश्चिम में प्लॉट नं. ई-233 है एवं प्रकरण संख्या 178/2018 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2019 के जरिये विवादित सम्पत्ति प्लॉट नम्बर एफ-281, मण्डिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र पाली, जिसके उत्तर में सड़क, दक्षिण में प्लॉट नं. एफ-298, पूर्व में प्लॉट नं. एफ-280 एवं पश्चिम में प्लॉट नं. एफ-279 स्थित है। इन भूखण्ड संख्या ई-232 एवं एफ-281 के सम्बन्ध में स्थगन जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस आदेश से जिला कलक्टर, पाली पक्षकार होने तथा आदेश की पालना के लिए बाध्य होने के कारण प्रकरण हाजा में धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट, 2002 के तहत कोई आदेश पारित किया जाना विधी सम्मत नहीं है, क्योंकि यदि प्रकरण हाजा में धारा 14 के तहत किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है, तो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली द्वारा प्रकरण संख्या 176/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2019 एवं प्रकरण संख्या 178/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2019 के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय पाली मारवाड़, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट, 2002 पर वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार संयोजित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तथा स्थगन आदेश खारिज होने की दशा में पुनः नये सिरे से धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(दिनेशचन्द्र जैन)

जिला मजिस्ट्रेट, पाली